न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 96/2018/(2018/00096) जिला–अजमेर

1. प्रियंका मेघवंशी पुत्री जीवनराम जाति मेघवंशी, निवासी ग्राम गेगल तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रीमती अंजू तंवर पत्नी देशराज, जाति मेहरा निवासी पुलिस लाईन अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र कंवरबक्ष, जाति ढोली, निवासी ग्राम डीडवाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. भंवर लाल पुत्र पन्ना, जाति भांभी निवासी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. नरसीराम पुत्र कल्याणमल, जाति भांभी निवासी ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर
5. ग्राम पंचायत गेगल जिला अजमेर जरिये सरपंच

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर
दिनांक 27–02–2018 अन्तर्गत अपील संख्या 08/2015
बउनवान प्रियंका मेघवंशी व अन्य बनाम भैरूलाल व अन्य

––––

उपस्थित– 1. श्री विकास पाराशर अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री अब्दुल मजीद, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 19–12–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष सरपंच ग्राम पंचायत गेगल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 6–4–2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिसें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण का कोई लोकस नहीं मानते हुए अपील

खारिज कर दी। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 27–2–2018 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या–3 ने जरिये मुख्त्यारआम प्रिंस जामड पुत्र नाथू सिंह जामड ने ग्राम गेगल स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 1613 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 1614 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.68 हैक्टर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 3–3–2015 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर क्रेता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हक में सरपंच ग्राम पंचायत गेगल ने दिनांक 6–4–2015 को नामान्तरकरण संख्या 173 स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रत्यर्थी नरसीराम ने दिनांक 22–2–2015 को विवादित आराजियात के बाबत देशराज पुत्र मूलचन्द मेहरा जाति बलाई निवासी ओमनगर लोहागल रोड शास्त्रीनगर को मुख्त्यारआम नियुक्त किया जिसने विवादित आराजी खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.68 हैक्टर के 1/3 हिस्से में से 3/18 हिस्से को अपीलार्थीगण को जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 26–2–2015 को कर दिया तब से अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजियात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है। सरपंच ग्राम पंचायत गेगल द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय बिना जांच किये सरसरी तौर पर प्रत्यर्थी के हक में विवादित आराजियात का नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी भूल की है। अतःग्राम पंचयत गेगल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 173 को निरस्त किया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा बहस सुनकर अपीलार्थीगण का लोकस नहीं मानते हुए धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार होना नहीं मानते हुए अपील आदेश दिनांक 27–2–2018 से खारिज कर दी जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि नरसीराम ने दिनांक 22–2–2015 को विवादित आराजियात बाबत देशराज पुत्र मूलचन्द मेहरा को मुख्त्यारआम नियुक्त किया जिसके आधार पर दिनांक 26–2–2015 को आराजी खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.68 हैक्टर के 1/3 हिस्से में से 3/18 हिस्से को अपीलार्थीगण को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा नामान्तरकरण संख्या 173 ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3–3–2015 के आधार पर स्वीकृत किया गया जो पश्चातवर्ती बयनामा था जिसके आधार पर प्रत्यर्थीगण को कोईहक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है इसलिए नामान्तरकरण संख्या 173 निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विवादित आराजियात क्रय करने से हक अधिकार निहित है एवं

अपीलार्थीगण हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 26–5–2014 को करवाये गये अधिकार प्रलेख को फर्जी होना बताया गया है एवं पुलिस थाना किशनगढ में प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें प्रकरण गलत माना। अपीलार्थीगण द्वारा उसके विरूद्ध अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ के समक्ष प्रोटेस्ट पीटिशन प्रस्तुत की हुई है जो विचाराधीन है। इसलिए इस आधार पर अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है। सरपंच ग्राम पंचायत गेगल द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया इसलिए नामान्तरकरण संख्या 173 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–2–2018 एवं सरपंच ग्राम पंचायत गेगल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 6–4–2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस का लिखित जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण ने जरिये मुख्त्यारआम देशराज मेहरा से विवादित आराजियात को दिनांक 26–2–2015 को क्रय करना बताया है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये बयनामा दिनांक 3–3–2015 को आराजी खसरा नम्बर 1610, 1613, 1614, 1615 को मुख्त्यारआम प्रिंस जामड पुत्र नाथू सिंह जामड़ से क्रय किया और कब्जा एवं दखल प्राप्त होने से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 6–4–2015 तस्दीक किया गया जो मौके व कब्जे की पूर्ण जांच कर स्वीकृत किया गया। अपीलार्थीगण का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं हैकि अपीलार्थीगण का विवादित आराजियात पर कब्जा है अपीलार्थीगण ने फर्जी बयनामा के आधार पर अपने आपको क्रेता बताया है और प्रत्यर्थी संख्या 3 नरसीराम ने अपना मुख्त्यारआम खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.68 हैक्टर के बाबत देशराज पुत्र मूलचन्द मेहरा को बनाया था तो जहां तक बयनामे का प्रश्न है जब तक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 3–3–2015 सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता तब तक विधि अनुसार बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 नरसीराम की एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस जामड के पक्ष में निष्पादित अधिकार प्रलेख पर नरसीराम के अंगूठा व असल विक्रय पत्र पर अंगूठा निशानी को फिंगर प्रिंन्ट ब्यूरो जयपुर राजस्थान की रिपोर्ट अनुसार ही माना गया है। इस प्रकार नरसीराम के द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी वह गलत थी और उसका उद्देश्य मात्र प्रत्यर्थी से रूपये एंठने एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करना था। इस अपील से यह तथ्य भी पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–3 आपस में प्रत्यर्थी

संख्या 1 व 2 को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते है तथा अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया है और स्वयं को व्यथित पक्षकार बताया है जो किसी भी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होना एवं अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होना मानते हुए खारिज किया है जो पूर्ण रूप से विधिसम्मत है।

उनका यह भी कथन है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3–3–2015 को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते तब तक उक्त बयनामे के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 173 को विधिविरूद्ध नहीं माना जा सकता और अपीलार्थीगण को व्यथित पक्षकार भी नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थीगण का यह कथन कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक बयनामा पश्चातवर्ती है और अपीलार्थी के पक्ष में तस्दीक बयनामा पूर्ववर्ती है जिससे अपीलार्थीगण नामान्तरकरण संख्या 173 से व्यथित है जो गलत है क्योंकि जब तक सक्षम न्यायालय बयनामा के बाबत अपना निष्कर्ष प्रतिपादित नहीं कर देता तब तक अपीलार्थी को नामान्तरकरण कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिससे किसी भी व्यक्ति के हक अधिकार तय नहीं हो जाते तब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा हक अधिकारों बाबत कोई आदेश पारित नहीं कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम गेगल स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 1613 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 1614 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 1615 रकबा 0.68 हैक्टर का प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 3–3–2015 को किया गया जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत गेगल द्वारा ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 6–4–2015 स्वीकृत कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 3 नरसीराम पुत्र कल्याण मल जाति भांभी के द्वारा प्रिंस जामड पुत्र नाथू सिंह जामड को दिनांक 26–5–2014 को मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया जिसके आधार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 3–3–2015 को विक्रय विलेख पंजीकृत करवाया गया। उक्त विक्रय विलेख प्रत्यर्थी संख्या–3 द्वारा ही निष्पादित किया जाना पाया गया। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर ही प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभिभाषक अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात के सबंध में बेचान किये गये पंजीकृत विक्रय विलेख को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही

ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध पाया गया। पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। चूंकि राजस्व अधिकारी के पास पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता है ऐसी स्थिति में सरपंच ग्राम पंचायत गेगल द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 6–4–2015 तस्दीक करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी के हक हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है लिहाजा यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार कर यह उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण को अपने हक हकूकों के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर लाभ प्राप्त करना चाहिए था। इस नामान्तरकरण की अपील में उन्हें कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–2–2018 विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा (1) अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–2–2018 अन्तर्गत अपील संख्या 08/2015 बउनवान प्रियंका मेघवंशी व अन्य बनाम भैरूलाल व अन्य एवं (2) सरपंच ग्राम पंचायत गेगल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 173 दिनांक 06–04–2015 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर